भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 604
06 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

विदेश की समुद्री सीमा में अवैध रूप से मछली पकड़ना

604. श्री भर्तृहरि महताबः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को विदेश की समुद्री सीमा में अवैध रूप से मछली पकड़ने के लिए मछुआरों को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा चूककर्ता मछुआरों के विरुद्ध आर्थिक कार्रवाई की जा रही है;

(ग) क्या समुद्रपारीय जल की सीमा के बारे में मछुआरों को संवेदनशील बनाने के लिए कोई उपाय शुरू किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) और (ख): सरकार को समय-समय पर भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी की रिपोर्ट मिलती रहती है। भारतीय मछुआरों को आम तौर पर देशों द्वारा अपने क्षेत्रीय जल (टेररिटोरियल वाटर्स) में कथित तौर पर मछली पकड़ने के आरोप में पकड़ लिया जाता है और संबंधित देशों के संबंधित अधिनियमों के तहत अवैध रूप से मछली पकड़ने, अतिक्रमण, अवैध रूप से अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा को पार करने आदि के मामले दर्ज किए जाते हैं । सरकार भारतीय मछुआरों के बचाव, सुरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। जैसे ही भारतीय मछुआरों और उनकी मछली पकड़ने वाली नौकाओं के पकड़े जाने के मामले सामने आते हैं, भारतीय मिशनों और पोस्टों द्वारा कांसुलर एक्सेस प्राप्त करने, उनका कल्याण सुनिश्चित करने और उनकी नौकाओं सहित उनकी शीघ्र रिहाई और प्रत्यावर्तन के लिए तत्काल कदम उठाए जाते हैं । मिशनों/केंद्रों के कांसुलर अधिकारी स्थानीय जेलों और हिरासत केंद्रों का नियमित दौरा करते हैं ताकि वहां बंद भारतीय मछुआरों की स्थिति का पता लगाया जा सके और इंडियन कम्यूनिटी वेल्फेयर फ़ंड के माध्यम से कानूनी सहायता सहित आवश्यक सहायता और समर्थन प्रदान किया जा सके । विदेशों में स्थित मिशन/केंद्र प्रवर्तन एजेंसियों से भी संपर्क करते हैं ताकि जांच और न्यायिक कार्यवाही को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके । सरकार का ध्यान प्रयासों द्वारा मछुआरों की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने पर है।

(ग) और (घ): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मछुआरों को अंतर्राष्ट्रीय रेखा (आईएमबीएल) पार न करने के महत्व पर और समुद्री सीमा पार करने के प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए समय-समय पर तटीय राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह जारी करता है । इसके अलावा, भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) नियमित रूप से तटीय गांवों में मछुआरों के लिए कम्यूनिटी इंटेरेकशन प्रोग्राम (सीआईपी) आयोजित करते हैं, जिसमें उन्हें अन्य बचाव और सुरक्षा उपायों के अलावा आईएमबीएल के बारे में जागरूक किया जाता है । आईसीजी जहाज और विमान, आईएमबीएल के करीब नियमित गश्त के दौरान भारतीय फिशिंग बोट्स को भारतीय जलक्षेत्र की ओर ले जाते हैं । मछुआरों को आईएमबीएल पार न करने हेतु जागरूक करने के लिए पड़ोसी देशों के साथ समन्वित गश्त भी किए जाते हैं । भारतीय तटरक्षक तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मत्स्यपालन विभागों और मत्स्यपालन संघों को आईएमबीएल के निकट/उस पार मछली पकड़ने के खतरों के बारे में भी जागरूक करता है । अवैध प्रवेश करने के प्रतिकूल प्रभाव और आईएमबीएल को पार करने में शामिल खतरों पर जोर देते हुए मछुआरों के बीच और अधिक संख्या में सीआईपी आयोजित की जाती है । भारतीय मछुआरों द्वारा आईएमबीएल के उल्लंघन को रोकने के लिए नवंबर, 2016 में गृह मंत्रालय द्वारा मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की गई हैं । मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रमुख योजना "प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना" (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत पारंपरिक मछुआरों/मछुआरों के समूहों को डीप सी फिशिंग वेसल्स और औटोमेटिक इंफोरमेशन सिस्टम/संचार उपकरणों को प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है तथा आईएमबीएल को पार करने से बचने और इसके बजाय अपने ठिकानों से दूर विशेष आर्थिक क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों में मछली पकड़ने के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाती है । इसके अलावा, पीएमएमएसवाई के अंतर्गत मछुआरों को आईएमबीएल में भटकने से बचाने में मदद करने के लिए संचार और/या ट्रैकिंग उपकरणों और फिशिंग बोट्स पर जीपीएस लगाने के लिए भी सहायता प्रदान की जाते है ।

*****